भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
उतरी शीतोषण क्षेत्रीय केन्द्र
केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसधांन संस्थान
गडसा (कुल्लू) हि.प्र. 175141

क्रमांकः 7(47)एम/2009/1080

दिनाकः 22.12.2014

कुटेशन सूचना

इस केन्द्र के वाहन अनुभाग में वाहन चलाने से संबंधित निम्नलिखित कार्य को अनुबन्ध के आधार पर करवाने के लिए **सेवानिवृत सैनिकों/प्राइवेट पार्टी** से अपनी उचित व न्युनतम दर मासिक अधार पर प्रस्तुत करने के लिए कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं 1 साथ ही ठेकेदार के पास पेन न0 होना आवशयक है 1 ठेकेदार की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा सेवानिवृत सैनिकों को वरियता दी जायेगी 1

नियम व शर्ते :

1 कुटेशन सादा कागज पर इस केन्द्र के अध्यक्ष महोदय के नाम बन्द लिफाफे मे स्वीकार किये जायेंगे, कुटेशन केन्द्र में दिनांक 03.01. **2015 दोपहर बाद 2.00 बजे तक प्रस्तुत करना है 1** सशर्त / तार व डाक द्वारा भेजी गई तथा **देर से प्राप्त कुटेशनों** पर कोई विचार नहीं किया जायेगा 1 कुटेशन उसी दिन दोपहर बाद 2–30 बजे कुटेशनदाता के समक्ष खोले जायेंगें 1 कुटेशन दाता के पास पैन न0– अनिवार्य होना चाहिये जिस की छाया प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होनी 1

2. ठेकेदार को कुटेशन के साथ 1000–00 रुपये मात्र साई राशि के रूप में नगद जमा कराना पडेगा 1 बिना धरोहर राशि के कोई कुटेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा 1
3. अनुबन्ध की उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जायेगी तथपि भारत/ हिमाचल सरकार द्वारा निर्धारित श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगा उसे निरस्त किया जा सकता है 1
4. दर प्रति माह के हिसाब से प्रस्तुत करना है 1 अनुबन्ध की अवधि 12 माह तक रहेगी, लेकिन कार्य की अवधि कम या अधिक भी की जा सकती है 1 यदि उक्त अबधि के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व भी समाप्त किया जा सकता है 1 जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी 1 इस दशा मे धरोहर राशि जब्त की जा सकती है 1
5. सफल दरदाता को कुल ठेका राशि का 10 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जमा करवानी होगी जिसमें साई राशि भी समायोजित की जा सकती है 1 धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्ल्यू. आर.आई यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट शाखा बैंक भून्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवीं रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं 1 यह राशि ठेकेदार को लिखित प्रार्थना पर ठेका सन्तोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगीं1
6. ठेकेदार/प्रतिनिधी से संस्थान का कोई भी वाहन (जीप/ट्रेक्टर/ अन्य) चलवाया जा सकता है 1
7. ठेकेदार/प्रतिनिधि का समय मुख्यालय पर रहने पर समय सीमा कार्यालय समय अनुसार होगी 1
8. ~~**ठेकेदार/प्रतिनिधि के बाहर जाने की स्थिति में समय सीमा नहीं है 1**~~
9. ठेकेदार/प्रतिनिधि से सेक्टर डयूटी, टीओटी एरिया, भुन्तर–कुल्लू के लोकल इन्डेंट भी पूरे करने होंगें एवं जयपुर, दिल्ली, व अन्य लम्बी दूरी के लिये भी भिजवाया जा सकता है 1
10. ठेकेदार/प्रतिनिधि को वाहन चलाने के साथ गाडी का रख–रखाव का भी ध्यान रखना होगा एवं गाडी की लोगबुक समय अनुसार पूरी करनी होगी 1
11. ठेकेदार/ प्रतिनिधि को गाडी चलाने का अनुभव होना चाहिये 1 यदि आवश्यकता महसुस की गई तो गाडी भी चलवाई जा सकती है 1
12. ठेकेदार/प्रतिनिधि के पास मोटर व्हीकल लाईसेन्स होना अनिवार्य है और ठेकेदार/प्रतिनिधि को कम से कम दसवी पास होना आवश्यक है 1 इस के लिये दोनो दस्तावेज की प्रतिलिपि कुटेशनों के साथ संलग्न करना होगा 1 सेवा निवृति के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि साथ संलग्न करना होगा 1 सफल ठेकेदार को ठेका प्रदान होने से पूर्व नियमानुसार इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा 1
13. ठेकेदार/ प्रतिनिधि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा बीडी, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिये 1 कार्य मे किसी भी प्रकार की शिथिलता / गैर जिम्मेदार/ अवज्ञा की गई तो ठेका निरस्त किया जा सकता है 1 ऐसी दशा मे धरोहर राशि जब्त की जा सकती है 1
14. अनुबन्ध की अवधि में ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को केन्द्र की सम्पति को बचाना होगा 1 यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान स्वयं ठेकेदार को नकद करना होगा 1 अन्यथा उनके देय बिल में से काट लिया जायेगा 1
15. ठेकेदार/प्रतिनिधि को किसी असामाजिक गतिविधियों मे संलिप्त नहीं होना चाहिये तथा उन्हें केन्द्र के अधिकारी/ कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना होगा अन्यथा ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा 1ऐसी दशा मे धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी 1
16. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों मे पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30–45 दिनों मे वित्त एवं लेखाधिकारी महोदय, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसधांन संस्थान, अविकानगर द्वारा किया जायेगा 1 नियमानुसार आयकर तथा अधिभार (जो लागू होगा) काटा जाएगा 1
17. प्रभारी वाहन अनुभाग/ अध्यक्ष महोदय के दिशा –निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा 1
18. केन्द्र के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/ सभी कुटेशनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है 1
19. **यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य हेतु अगली दिनांक लागू होगी 1**

22.12

कार्यकारी अध्यक्ष

वितरण:

1) नोटिस बोर्ड, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र, गडसा 1
2) सैनिक कल्याण बोर्ड, कुल्लू (हि. प्र.)
3) प्रधान, ग्राम पंचायत गडसा, दियार, शियाह, हुरला व थरास1
4) प्रभारी ऐ. के. एम. युनिट, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कुटेशन सूचना को कृप्या संस्थान के बैब साईट मे डालने का श्रम करें 1
5) प्रभारी वाहन एवं कार्यशाला अनुभाग को वृहत प्रचार हेतु प्रेषित है